कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मऊ।

पत्रांकः 575-79 /समग्र शिक्षा/2026–27 दिनांकः 27-04-26

विशेष प्रशिक्षक चयन प्रेस विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः सामू0सह0/विशेष प्रशिक्षण निर्देश/357/2026–27 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 द्वारा शैक्षिक सत्र 2026–27 में 07–14 वय वर्ग के चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालयों में नामांकन के उपरान्त उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

1. विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत अध्यापक/वॉलण्टियर का चयन किया जायेगा। विद्यालय में 05 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण की अवधि तक विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत अध्यापक/वालेण्टियर) की सेवायें ली जायेगी। यदि 1 से अधिक सेवानिवृत अध्यापकों के आवेदन प्राप्त होते हैं तब विशेष प्रशिक्षक के चयन में कम आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी, यदि सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलंटियर का चयन किया जायेगा।
2. विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) के चयन हेतु अनिवार्य योग्यता
   - *सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन हेतु योग्यताः–*
     1. परिषदीय/सहायता प्राप्त विद्यालय के सेवानिवृत्त अध्यापक का चयन किया जायेगा।
   - *वॉलंटियर के चयन हेतु शैक्षिक योग्यताः–*
     1. स्नातक के साथ डी0एल0एड0/बी0टी0सी0/बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यदि डी0एल0एड0/बी0टी0सी0/बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो स्नातक अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
3. आयु सीमाः–
   - वॉलंटियर के चयन हेतु आयु सीमाः दिनांक 01 जुलाई, 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष ।
4. वॉलंटियर के चयन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है।
5. 05 से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण हेतु 01 विशेष प्रशिक्षक का चयन किया जायेगा। विशेष प्रशिक्षक को अधिकतम 31 मार्च, 2027 तक प्रतिमाह रू0 4000/– की दर से मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
6. विशेष प्रशिक्षक का चयन विद्यालय प्रबन्धन समिति की 04 सदस्यीय उपसमिति द्वारा किया जायेगा।

विशेष प्रशिक्षक के चयन हेतु गठित समिति निम्नवत् है–

विद्यालय प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष	01
विद्यालय प्रबन्ध समिति का उपाध्यक्ष	01
विद्यालय प्रबन्ध समिति का सचिव (प्र0अ0/ई0प्र0अ0)	01
अभिभावक सदस्य	01

7. विशेष प्रशिक्षक के चयन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एस0एम0सी0 बैठक रजिस्टर में अंकित की जायेगी, जिसे अभिलेख के रुप में सुरक्षित रखा जायेगा।
8. विशेष प्रशिक्षक का चयन नितान्त अस्थायी रूप से होगा जो विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षक के मानदेय की धनराशि की सीमा सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में जारी की जायेगी।

27/04/2026

(संतोष कुमार उपाध्याय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

27/04/2026

पृ0सं0– 575-79 /समग्र शिक्षा/2026–27 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
3. जिला सूचना अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद के पोर्टल पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

27/04/2026

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मऊ।

27/04/2026

<u>संलग्नक–1</u>

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक/वॉलंटियर) के चयन हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का नाम : ______________________

पिता/पति का नाम : ______________________

माता का नाम : ______________________

जन्म तिथि : ______________________

मोबाइल नम्बर : ______________________

आवेदक का नवीन स्वहस्ताक्षरित फोटो

वैवाहिक स्थिति: विवाहित/अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता (✓) का निशान लागायें

निवास स्थान का पूरा पता : ______________________

: ______________________

विद्यालय का नाम जहाँ आवेदन किया जा रहा है :______________________

निवास स्थान से विद्यालय की दूरी जहाँ के लिए आवेदन किया जा रहा है (कि0मी0 में) :__________

शैक्षिक योग्यता:

क्र. सं.	शैक्षिक योग्यता	वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय	स्कूल/कॉलेज विश्वविद्यालय/ संस्थान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
	हाईस्कूल						
	इण्टरमीडिएट						
	स्नातक						
	BTC/D.El.Ed/ B.Ed						

(नोट:– आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।

दिनांक:__________

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम..

विद्यालय का नाम जहाँ के लिए आवेदन किया..

आवेदन पत्र प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर..............................

दिनांक..